दिनांक 09.02.2018 को कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार की अध्यक्षता में सभी संयुक्त निदेशक (शष्य) एवं जिला कृषि पदाधिकारियों के साथ आयोजित विडियो कॉन्फ्रेन्स की कार्यवाही :–

उपस्थिति:– पंजी में संधारित।

1. विभिन्न योजनाओं अन्तर्गत राशि की निकासी की स्थिति :–

1.1 समीक्षा के क्रम में पाया गया कि पूर्णिया प्रमंडल, पूर्णिया में कुल उपलब्ध राशि 52.87 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 24.46 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। अररिया जिले की निकासी कम है। यहाँ कुल उपलब्ध राशि 11.79 कराड़ रू0 के विरूद्ध 5.27 करोड़ रू0 (44 प्रतिशत) की निकासी की गई है। जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत अभी तक यहाँ कुल उपलब्ध राशि 237.04 लाख रू0 के विरूद्ध 20 लाख रू0 की निकासी हुई है, जो बहुत ही दयनीय है। निदेश दिया गया कि जितन भी वर्मी कम्पोस्ट एवं गोबर गैस यूनिट का निर्माण हो गया है उसका कृषि समन्वयक से सत्यापन कराकर अविलम्ब अनुदान की राशि लाभान्वितों को भुगतान कर दिया जाय।

(अनु0–जिला कृषि पदाधिकारी, अररिया)

1.2 कोशी प्रमंडल, सहरसा में कुल उपलब्ध राशि 34.99 करोड़ रू0 के विरूद्ध 14.96 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। अभी तक सुपौल मं मात्र 34 प्रतिशत तथा मधेपुरा में 42 प्रतिशत राशि की निकासी हई है।

1.3 दरभंगा प्रमंडल में कुल उपलब्ध राशि 76.26 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 37.12 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। दरभंगा जिला में अभी तक 40 प्रतिशत राशि की निकासी की गई है। इस जिला में कृषि यांत्रिकीकरण योजना अन्तर्गत 37 प्रतिशत राशि की निकासी हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी, दरभंगा द्वारा बताया गया कि कृषि यांत्रिकीकरण योजना का 40 लाख का विपत्र कोषागार में भेजा जा रहा है, एक सप्ताह में जिला की उपलब्धि 50 प्रतिशत हो जायेगी।

1.4 सारण प्रमंडल, छपरा में कुल उपलब्ध राशि 68.53 करोड़ रू0 के विरूद्ध 34.01 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। सारण जिला में सबसे कम 48 प्रतिशत राशि की निकासी की गई है।

1.5 पटना प्रमंडल में कुल उपलब्ध राशि 153.45 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 81.45 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। भोजपुर में 44 प्रतिशत तथा बक्सर में 46 प्रतिशत राशि की निकासी हुई है। जिला कृषि पदाधिकारी, बक्सर द्वारा बताया गया कि आवंटन पंजी 10 दिनों से कोषागार में है। आवंटन पंजी आते ही विपत्र कोषागार में भेजा जायेगा। बक्सर में रा0खा0सु0मि0 का विपत्र ऑनलाईन नहीं हो रहा है। संयुक्त निदेशक (शष्य), पटना प्रमंडल को इसकी एवं बक्सर जिले की सभी योजनाओं की समीक्षा करने का निदेश दिया गया।

(अनु0–संयुक्त निदेशक, शष्य, पटना प्रमंडल, पटना)

1.6 मुंगेर प्रमंडल में कुल आवंटन 75.29 करोड़ रू0 के विरूद्ध अभी तक 38.34 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। लखीसराय में जैविक खेती प्रोत्साहन कार्यक्रम अन्तर्गत कुल आवंटित राशि

125.31 लाख रू0 के विरूद्ध अभी तक मात्र 14.46 लाख रू0 की निकासी की गई है, जो बहुत ही दयनीय है। शेखपुरा से रा0खा0सु0मि0 वर्ष 2015–16 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र अप्राप्त है। जिला कृषि पदाधिकारी, शेखपुरा द्वारा प्रपत्र–19 में उपयोगिता प्रमाण–पत्र दिया गया था जबकि प्रपत्र 42 ए0 में इसे देना था।

(अनु0–जिला कृषि पदाधिकारी, लखीसराय/शेखपुरा)

1.7 भागलपुर प्रमंडल में कुल उपलब्ध राशि 44.84 करोड़ रू0 के विरूद्ध 16.82 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। भागलपुर जिला में अभी तक मात्र 31 प्रतिशत राशि की निकासी की गई है। संयुक्त निदेशक (शष्य) भागलपुर प्रमंडल को निदेश दिया गया कि यदि जिला कृषि पदाधिकारी, भागलपुर की प्रगति मार्च, 2018 तक संतोषजनक नहीं होती है तो उनके विरूद्ध कार्रवाई का प्रस्ताव देंगे।

(अनु0–संयुक्त निदेशक, शष्य, भागलपुर, प्रमंडल)

1.8 मगध प्रमंडल, गया में कुल उपलब्ध राशि 78.35 करोड़ रू0 के विरूद्ध 38.36 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। अरवल में अभी तक मात्र 38 प्रतिशत राशि की निकासी की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी, अरवल द्वारा बताया गया कि कोषागार में कम्प्यूटर जल जाने के कारण विपत्र पारित नहीं हो पा रहा है। जहानाबाद में अभी तक मात्र 33 प्रतिशत राशि की निकासी की गई है। जिला कृषि पदाधिकारी, जहानाबाद द्वारा बताया गया कि रा0खा0सु0मि0, वर्ष 2015–16 का उपयोगिता प्रमाण–पत्र का समायोजन हो गया है, परन्तु कोषागार में पत्र प्राप्त नहीं होने के कारण विपत्र पारित नहीं किया जा रहा है।

बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग को समायोजित हो गये उपयोगिता प्रमाण–पत्र सम्बंधी पत्र/सूचना सभी कोषागार को भेजवाने का निदेश दिया गया।

(अनु0–बजट पदाधिकारी, कृषि विभाग)

1.9 तिरहूत प्रमंडल, मुजफ्फरपुर में कुल उपलब्ध राशि 157.60 करोड़ रू0 के विरूद्ध 77.32 करोड़ रू0 की निकासी की गई है। पश्चिम चम्पारण में अभी तक मात्र 39 प्रतिशत राशि की निकासी की गई है।

2. सूचित किया गया कि कृषि विभाग का कुल व्यय अभी तक 29 प्रतिशत है। इस पर मान्नीय मुख्यमंत्री, बिहार एवं कृषि मंत्री, बिहार द्वारा चिन्ता व्यक्त की गई है। निदेश दिया गया कि प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य) अपने प्रमंडल में शत–प्रतिशत उपलब्धि के लिए पूर्ण जिम्मेवार होंगे। वे जिला कृषि पदाधिकारी के कार्यो की समीक्षा करें तथा जो प्रखण्ड कृषि पदाधिकारी कार्य नहीं कर रहे हैं उनके निलम्बन की कार्रवाई करें।

(अनु0–सभी संयुक्त निदेशक, शष्य)

3. ए0टी0एम0 एवं बी0टी0एम0 की नियुक्ति हेतु रोस्टर क्लीयरेन्स कराकर रिक्ति की सूचना भेजने का निदेश दिया गया ताकि उनकी नियुक्ति की जा सके।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी/परियोजना निदेशक, आत्मा)

4. निदेश दिया गया कि नव नियुक्त सभी कृषि समन्वयक पंचायत में ही कार्य करेंगे। किसी भी परिस्थिति में उनकी प्रतिनियुक्ति मुख्यालय/कार्यालय/प्रयोगशाला में नहीं की जायेगी। जिस पंचायत में कृषि समन्वयक का पदस्थापन नहीं हुआ है वहाँ किसान सलाहकार पूर्ववत् कार्य करते रहेंगे।

धन्यवाद के साथ बैठक समाप्त की गयी।

(अनु0–सभी जिला कृषि पदाधिकारी)

(सुनिल कुमार सिंह)
कृषि उत्पादन आयुक्त,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–56/16– 1207 पटना, दिनांक :– 23-2-18

प्रतिलिपि :– प्रबंध निदेशक, बी0आर0बी0एन0, पटना/विशेष सचिव, कृषि विभाग/निदेशक, उद्यान, बिहार, पटना/निदेशक, भूमि संरक्षण, बिहार, पटना/निदेशक, बामेति, बिहार, पटना/निदेशक, पी0पी0एम0, बिहार, पटना/उप निदेशक, प्रशासन, कृषि निदेशालय, बिहार, पटना/माननीय मंत्री, कृषि, बिहार के आप्त सचिव, बिहार, पटना/कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार के प्रधान आप्त सचिव/प्रधान सचिव, कृषि के आप्त सचिव/कृषि निदेशक, बिहार के आप्त सचिव/मुख्यालय स्थित सभी संयुक्त निदेशक/संयुक्त निदेशक (शष्य) पाट पूर्णिया/संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप–तौल, बिहार, पटना/सभी प्रमंडलीय संयुक्त निदेशक (शष्य)/मुख्यालय स्थित सभी उप निदेशक/सभी जिला कृषि पदाधिकारी/सभी परियोजना निदेशक, आत्मा/सभी योजना के नोडल पदाधिकारी/सभी जिला के नोडल पदाधिकारी/सभी राज्य प्रबंधक, उर्वरक कंपनी/सभी सहायक निदेशक, उद्यान/सभी उप निदेशक (कृषि अभियंत्रण) भूमि संरक्षण को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापांक :– 8/कृ0नि0यो0वि0–56/16– 1207 पटना, दिनांक :– 23-2-18

प्रतिलिपि :– आई0टी0 मैनेजर, कृषि विभाग को सभी संबंधित पदाधिकारियों को ई–मेल करने तथा विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

कृषि उत्पादन आयुक्त,
कृषि विभाग, बिहार, पटना।